संख्याः–37-XXIV(8)/07-13/2004

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांकः 20 जुलाई, 2007

विषयः– राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मियों की अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या 220/xxvii(3)/अ.आ./ 2005 दिनांक 18 जून 2005 के कम में आपके पत्र संख्याः 3848/नि.प्रा.शि/स्था.–के.पी.–3/ 2006–07 दिनांक 11 जनवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को शासन द्वारा सृजित पदों पर, अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर अनुतोषिक(ग्रेच्युटी) सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी।

3– ग्रेच्युटी का लाभ अशंदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्ही शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियेां को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि उस पर अर्जित एव संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देगें।

4– 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नही दिया जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांत तक कार्य लिया जाना अति आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर–520 के अनुसार वेतन में राशिकरण के पूर्व पेंशन की धनराशि घटा कर

वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5– राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं में उपरोक्तानुसार व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड तद्नुसार अधिनियम/नियमावली आदि में यथावांछित संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

6– उपरोक्तानुसार आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः–730/XXVii(7)/2007 दिनांक 19 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांकः तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय भवन माजरा देहरादून।
2 मण्डलायुक्त गढवाल पौडी उत्तराखण्ड।
3 जिलाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
4 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड
5 प्रधानाचार्य, के.एल बहुधन्धी संस्थान, रूडकी उत्तराखण्ड।
6 रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिशनर, उत्तराखण्ड देहरादून।
7 वित्त अनुभाग–7
8 निदेशक एन.आई.सी सचिवालय परिसर देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव